केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/104 दिनांक: 25.04.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00090
CICOM/R/2019/00293

अपीलकर्ता : श्री ईमामुन निशा,
ग्राम -सामाचक, पो0 - हरौली,
जिला - वैशाली - 844103.

निर्णय की तारीख : 25.04.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.02.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री जीवन चंद्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.04.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	140/24.04.2019 (11610/23.04.2019)

1. मंत्रीमंडल सचिवालय को संबोधित अपीलकर्ता का दिनांक 27.02.2019 के आर.टी.आई. आवेदन जिसे मंत्रीमडल सचिवालय द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जिसके माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग एवं सभी राज्य/संघ सरकार के राज्य सूचनाआयोग के चेयरमैन, सचिव के नाम, डाक पता पिन कोड समेत, ईमेल, वेबसाईट, मोबाइल नं. की प्रिंट प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (एम.आर.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री जीवन चंद्र केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित वांछित जानकारी के लिए आयोग की वेबसाईट का लिंक दिया गया है एवं राज्य सूचना आयोगों के चेयरमैन, सचिवों के नाम, डाक पता इत्यादि के संबंध में बताया गया है कि वांछित जानकारी आयोग के पास उपलब्ध नहीं है, इस तरह की जानकारी राज्य सूचना आयोगों से ही प्राप्त करें । चूंकि अपीलकर्ता द्वारा वांछित जानकारी प्रिंट प्रति में मांगी गई थी, इसलिए संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संपर्क किए जाने पर बताया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग में चेयरमैन का कोई पद नहीं है एवं सचिव का नाम, श्रीमती मधुलिका पी. सुकुल, पता - केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067, ई-मेल secy-cic@nic.in, टेलीफोन नं. 011-26167932 है । साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य सूचना आयोगों से संबंधित वांछित सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है । **श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (एम.आर.) द्वारा दी गई उक्त सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्रुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

ED 03318091 0IN

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
25 APR 2019
D. No.........
Initials.........